**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.**

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 86/2021

GCMS NO. : 2021/143

–: वादीगण :–

1.करणसिंह पुत्र ओंकारदान

2.भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान

जातियान चारण निवासीगण

लाखासनी तहसील जैतारण

जिला ब्यावर।

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जैतारण जिला ब्यावर।

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:.20/12/2021

उपस्थितः– 1. श्री देवाराम कटारिया, श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता वादीगण।

2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 31/01/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं सह–हिस्सेदार की कृषि भूमि ग्राम लाखासनी, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक बैडकलां, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 76 रकबा 21.2217 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु. की आई हुई है। इसी प्रकार वादीगण एवं सहहिस्सेदार की कृषि भूमि ग्राम झाझंनवास, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक बैड़कला, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 263/1 रकबा 8.9354 किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण एवं सह–हिस्सेदार बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के अपने हक–हिस्से की भूमि को निर्विवाद एवं बेरोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग–उपभोग एवं मुतालिक तमाम काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जब तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा प्रथम बार वादीगण के नाम का इन्द्राज किया उस दरम्यान खसरा नम्बर 76, 8 व 9 में वादी संख्या 01 का नाम करणदान व वादी संख्या 02 का नाम भंवरदान दर्ज कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 263/1 में वादी संख्या 02 का नाम व पिता का नाम भंवरदान पुत्र अचलदान राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया, जो गलत है। वादी संख्या 01 का सही एवं शुद्ध व पूरा नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 का भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान है तथा वादीगण को गाँव व अपने जान

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

पहचान व रिश्तेदारी में भी वादी संख्या 01 को करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 को भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। वादीगण के जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र में भी वादीगण का नाम व पिता का नाम बखूबी साबित व प्रमाणित है। वादीगण के नाम से सम्बन्धित दस्तावेज की फोटो प्रतिया वादपत्र के साथ पेश है। वादी संख्या 01 करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान के नाम से गाँव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं थे केवल मात्र एक वादीगण ही है जो सही एवं सत्य है। वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम दर्ज होने व वादीगण के अन्य दस्तावेजात में वादी संख्या 01 का करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान दर्ज होने के कारण वादीगण को अपनी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड के उपयोग-उपभोग मे सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यो में बाधा एवं परेशानी उत्पन्न होती है तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किसानो की कल्याणकारी योजनाओ के तहत दिये जाने वाले परिलाभ बैंको के जरिये दिये जाते है। इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में व अन्य सभी दस्तावेज में वादीगण के नाम अलग-अलग होने से सरकार द्वारा दिये जाने वाले योजनान्तर्गत किसानो के फायदे एवं लाभ लेने के लिये वादीगण ई-मित्र पर दिनांक 13.12.2021 को अपना आवेदन करने के लिये गया तब राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेज में नाम अलग-अलग होने से उनके आवेदन पत्र ऑनलाईन नही हुये तब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी निकलवाने पर पता चला तब उन्हें उक्त रोंग एन्ट्री की जानकारी हुई तब उसने राजस्व अधिकारीयों व पटवारी से मिलकर उक्त रोंग एन्ट्रीयों को दुरूस्त करने का निवेदन किया तब उन्होने रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करने से मना कर दिया तब वादीगण को उक्त वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से उक्त वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के न्यायालय सादर पेश है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है इसलिए प्रा.पत्र 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 13.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर वर्तमान में दिये जा रहे केन्द्र सरकार द्वारा किसानो को पेंशन योजना के तहत 6,000/- रूपये हेतु अपना आवेदन पत्र ई-मित्र पर दर्ज करवाने गया तब ई-मित्र पर वादीगण का आवेदन दर्ज नही हुआ और ई-मित्र पर वादीगण को बताया की आपके उक्त राजस्व रेकर्ड में आपका व आपके पिता का नाम गलत दर्ज है इस कारण आपका नाम ऑनलाईन नही किया जा सकता। क्योकि आपके राजस्व रेकर्ड और अन्य दस्तावेजात में नाम अलग-अलग होने से कम्प्यूटर स्वीकार नही करता है। इसलिए पहले आप अपने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करावें उसके पश्चात ही आपका उक्त आवेदन पत्र दर्ज एवं ऑनलाईन किया जा सकेगा। वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी

उसी दिन हुई और वादीगण अपने राजस्व रेकर्ड में अपने व अपने पिता का नाम को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय जैतारण के समक्ष उपस्थित हुआ तब तहसीलदार महोदय ने वादीगण के नाम व पिता के नाम उसके राजस्व रेकर्ड में न्यायालय के आदेश द्वारा दुरूस्त करवाने के लिए कहा। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 13.12.2021 को उत्पन्न होकर दिन बदिन उत्पन्न हो रखा है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2076-2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में खसरा नम्बर 76, 8 व 9 में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का क्रमशः 5/72 व 1/16 हिस्से के साथ नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड है। इसी प्रकार मौजा झांझनवास पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 20772080 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में खसरा नम्बर 263/1 में वादी संख्या 2 का नाम 141/736 हिस्से के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड है। उपरोक्त खसरा नम्बर में वादीगण राजस्व रेकर्ड के अनुसार सह खातेदार है। ग्राम लाखासनी के खसरा नम्बर 76, 8,9 में वादी संख्या 1 का नाम करणदान व वादी संख्या 2 का नाम भंवरदान है। इसी प्रकार ग्राम झांझनवास के खसरा नम्बर 263/1 में वादी संख्या 2 का नाम भंवरदान पुत्र अचलादान है। उपरोक्त के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार जांच करने पर वादी संख्या 1 का सही नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान एवं वादी संख्या 2 का सही नाम भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान पाया गया, जो सही है। करणसिंह व करणदान दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है। इसी प्रकार भंवरदान व भंवरसिंह भी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन नामों से ग्राम लाखासनी में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम झांझनवास के खसरा नम्बर 263/1 में वादी संख्या 2 का नाम भंवरदान पुत्र अचलदान लिखा हुआ है। जबकि वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान है। भंवरदान पुत्र अचलदान नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम झांझनवास व लाखासनी में नहीं है। वादी संख्या 1 का सही नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 2 का सही नाम भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान ही है। उक्तानुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में सही किया जाना उचित है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में स्वयं वादी करणसिंह पुत्र ओंकारदान, भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. ग्राम लाखासनी की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–1) के खसरा नम्बर 76 रकबा 21.2217 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु. में **'करणदान पुत्र ओंकारदान, भंवरदान पुत्र ओंकारदान'** एवं ग्राम झांझनवास की जमाबंदी संवत् 2077–2080 (प्रदर्श–2) के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 263/1 रकबा 8.9354 किस्म बारानी दोयम में **'भंवरदान पुत्र अचलदान'** के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
2. वादी करणसिंह पुत्र ओंकारदान ने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 में यह सशपथ कथन किये कि "मुझ शपथकर्ता का सही एवं शुद्ध व पूरा नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 का भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान है। हम वादीगण को गाँव व जान पहचान व रिश्तेदारी में भी करणसिंह पुत्र ओंकारदान व वादी संख्या 02 को भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान के नाम से ही जाना व पहचाना एवं पुकारा जाता है। मुझ शपथकर्ता करणसिंह पुत्र ओंकारदान एवं वादी संख्या 02 भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान के नाम से गाँव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं थे। केवल मात्र एक हम वादीगण ही हैं, जो सही व सत्य है।" अन्य शहादत में वादी भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान ने अपने शपथ–पत्र P/W 02 में यह सशपथ कथन किये कि "वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जब तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा प्रथम बार हम वादीगण के नाम का इन्द्राज किया उस दरम्यान खसरा नम्बर 76,8 व 9 में वादी संख्या 01 का नाम करणदान व मुझ शपथकर्ता का नाम भंवरदान दर्ज कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 263/3 में मुझ शपथकर्ता का नाम व पिता का नाम भंवरदान पुत्र अचलदान राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया, जो गलत है। वादी संख्या 01 का सही एवं शुद्ध व पूरा नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान व मुझ शपथकर्ता का भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान है।"
3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–3ए (राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–5ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–4ए (जन आधार कार्ड की रसीद) एवं राशनकार्ड उक्त दस्तावेजों में वादी संख्या 01 का नाम **करणसिंह पुत्र ओंकारदान** दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–6ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–7ए (ड्राईविंग लाईसेंस), प्रदर्श–8ए (राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–9ए (जन आधार कार्ड की रसीद) एवं राशन कार्ड, उक्त दस्तावेजो में वादी संख्या 02 का नाम **भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान** दर्ज है।
4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि सरहद मौजा मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण के वर्तमान

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

राजस्व रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2076–2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में खसरा नम्बर 76, 8 व 9 में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का क्रमशः 5/72 व 1/16 हिस्से के साथ नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार जांच करने पर वादी संख्या 1 का सही नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान एवं वादी संख्या 2 का सही नाम भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान पाया गया, जो सही है। करणसिंह व करणदान दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है। इसी प्रकार भंवरदान व भंवरसिंह भी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन नामों से ग्राम लाखासनी में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम झांझनवास के खसरा नम्बर 263/1 में वादी संख्या 2 का नाम भंवरदान पुत्र अचलदान लिखा हुआ है। जबकि वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान है। भंवरदान पुत्र अचलदान नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम झांझनवास व लाखासनी में नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लखासनी के खसरा नम्बर 76 रकबा 21.2217 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु. के भू अभिलेख में वादीगण का नाम करणदान पुत्र ओंकारदान, भंवरदान पुत्र ओंकारदान नाम दर्ज है के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम करणसिंह पुत्र ओंकारदान, भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान की प्रविष्टि को दर्ज किये जाना उचित प्रतीत होता है इसी प्रकार ग्राम झांझंनवास, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक बैड़कला, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 263/1 रकबा 8.9354 किस्म बारानी दोयम के भू–अभिलेख में दर्ज वादी संख्या 02 के नाम की प्रविष्ट दर्ज है के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 76 रकबा 21.2217 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु. के भू–अभिलेख में वादीगण का नाम **करणदान पुत्र ओंकारदान, भंवरदान पुत्र ओंकारदान** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक

एवं दस्तावेजी नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– **'करणदान पुत्र ओंकारदान'** *के स्थान पर* **'करणसिंह पुत्र ओंकारदान', भंवरदान पुत्र ओंकारदान'** *के स्थान पर* **भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम झाझंनवास, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक बैझकला, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 263/1 रकबा 8.9354 किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी का नाम **भंवरदान पुत्र अचलदान** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की निम्न प्रविष्टि– **'भंवरदान पुत्र अचलदान'** *के स्थान पर* **भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक **31/01/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :-
1.करणसिंह पुत्र ओंकारदान
2.भंवरसिंह पुत्र ओंकारदान
जातियान चारण निवासीगण लाखासनी तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

-: प्रतिवादी :-
1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 86/2021

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 76 रकबा 21.2217 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु. के **भू-अभिलेख** में वादीगण का नाम **करणदान पुत्र ओंकारदान, भंवरदान पुत्र ओंकारदान** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की निम्न प्रविष्टियाँ- **'करणदान पुत्र ओंकारदान'** *के स्थान पर* **'करणसिंह पुत्र ओंकारदान', भंवरदान पुत्र ओंकारदान'** *के स्थान पर* **भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम झाझंनवास, पटवार हल्का पाटवा, भू-अभिलेख निरीक्षक बैड़कला, तहसील **जैतारण** में खसरा नम्बर 263/1 रकबा 8.9354 किस्म बारानी दोयम **के भू-अभिलेख में** बादी का नाम **भंवरदान पुत्र अचलदान** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की निम्न प्रविष्टि- **'भंवरदान पुत्र अचलदान'** *के स्थान पर* **भंवर सिंह लखावत ओ पुत्र ओंकारदान'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

**बसिब्त** मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

| मुद्धई | रुपये | पैसे | मुद्धायलाह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 3.00 | | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | | स्टाम्प अर्जी | 0.00 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 5.00 | | महनताना वकील | 0.00 | |
| महनताना वकील | 0.00 | | खर्चा गवाहान | 0.00 | |
| खर्चा गवाहान | 2.00 | | फीस कमीश्नर | 0.00 | |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | | मुत्फरिक | 0.00 | |
| मिजानः- | 11.00 | | मिजानः- | 0.00 | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।